


1014117

थकील चादी उपर खरद वरील चादी लब  
पक्षीय खुनी जाई। पत्रावली व पत्रावली में  
उपलब्ध राजद्वय रिकार्ड व रिपोर्ट पत्रावली हल्ला  
का अवलोकन मिया गया। जमावदी सं 2056 से 2059  
के अवलोकन दे पाया गया कि इमि खणन 1718

उपखण  
नीम का बाग  
जा  
पत्रिकारी  
लीकरी

त्रिकालिक इण्डिया  
पत्रिका का नाम क इमि



कि

रकबा 1.21 ह तन ग्राम नृसिंहपुरी की रवातेदारी  
 मातरीन सिंह पुत्र कोइ सिंह हि 1/2 मु बेवा जतन सिंह  
 हि 1/2 कोम राजपूत सा देह के नाम दर्ज रिमाई थी।  
 वाद के मे उक्ति कथन के अनुसार जतन सिंह  
 की वारिषा ही एड मातु वारिषा थी। कथलिप कोषा-  
 धिकारी सीकर द्वारा जारी येन्शन पी.पी.के परिवार  
 कार्ड मे वारिषा का नाम गुलाब कवर कवर उचित है  
 एवं येन्शन पी.पी.के गुलाब कवर पी० जतन सिंह  
 दर्ज है। पटवारी दफ्तर ने अपनी रिपोर्ट मे कलापात्रि  
 ग्राम नृसिंहपुरी की जासकी सं 2069 से 2072 रवाता  
 सं 144 ख० न० 981 रकबा 1.21 ह " मातरीन सिंह पुत्र  
 कोइ सिंह हि 1/2 राधिन राजा ग्रामिण बेनु गुहाला मुं -  
 बेवा जतन सिंह दर्ज रिमाई है। ३ उषध के दौरान  
 ख० न० 1718 रकबा 1.21 ह तन नृसिंहपुरी के नवीन  
 ख० न० 981 रकबा 1.21 ह नये वृजित हुये हो वारिषान  
 के नाम रवातेदारी का नामा० दर्ज सिधे जाने से पूर्व  
 ही जतन जीत हो चुका था उस समय जतन सिंह  
 की वारिषा गुलाब कवर का नाम दर्ज होने के रजगपथा  
 पटवारी दफ्तर ने भी अपनी रिपोर्ट मे गुलाब कवर को  
 जतन सिंह की वारिषा बताया है। पटवारी दफ्तर ने अपनी  
 रिपोर्ट में उक्त उदम्ती उदम्त रिषा जाना उचित  
 कलापा है। इस आधार पर उक्त दफ्तरवेगत व  
 रिपोर्ट पटवारी दफ्तर से वाद पत्र मे करित तथ्यो  
 को बल मिलता है एवं वाद पत्र खण्डित होता है।  
 इसलिए वाद वारिषा स्वीकार रिषा जाना उचित  
 समझता है।

ऊतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर  
 वाद वारिषा डिडी रिषा जाना हो तथा श्री १४० न०  
 981 रकबा 1.21 ह तन ग्राम नृसिंहपुरी का वारिषा  
 मुः गुलाब कवर बेवा जतन सिंह कोम राजपूत कोसि  
 का रवातेदार कागतकार धोषित रिषा जाना हो तथा राजस्व  
 रिमाई मुं -- बेवा जतन सिंह के स्थान पर मु गुलाब  
 कवर दर्ज कर उदम्त रिषे जाने के कदेश रिषे जाते है  
 तदनुसार राजस्व रिमाई मे कल दरा मड हेतु पच्ची  
 डिडी जारी हो। कजावली केदाल शुकार होकर मन्दा  
 कम होकर जासिल दफ्तर है।



( जगदीश प्रसाद गौड़ )  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नीम का थाना (सीकर)